बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 67/319 पटना, दिनांक 31.12.18

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 28/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0110–विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना, विपत्र कोड–23-2852800010110, विषय शीर्ष 0110.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु कुल रू0 50,00,000 (पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विषय शीर्ष 0110.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 50,00,000 (पचास लाख)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष 2852–उद्योग, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0110–विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना, विपत्र कोड–23–2852800010110, विषय शीर्ष 0110.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्वीकृत्यादेश संख्या 4778 दिनांक 28.12.18 के आलोक में दिया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ0 पृ0 उ0

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 एवं CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

(च) मुख्य बजट शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0110–विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना, विपत्र कोड–23-2852800010110, विषय शीर्ष 0110.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु कुल रू0 50,00,000 (पचास लाख) मात्र के आवंटन के आलोक में स्वीकृत्यादेश / राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 67/3110/ पटना, दिनांक 31.12.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 67/3110 पटना, दिनांक 31.12.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग / प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।